संख्या–——/XXIV(7)/2017–21(2)17

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण के लिए गठित समिति हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री बजट/11670/2017–18, दिनांक 05.12.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति हेतु विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 31.00 लाख (रु0 इकतीस लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना पर व्यय नहीं किया जायेगा एवं अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किये जाने का दायित्व विभाग का होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा, धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा:–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

(4) आवटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

(5) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

.....2/

(7) फर्नीचर, उपकरण एवं कम्प्यूटर आदि का कय हेतु प्रोक्योरमेंट रुल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का अनुपालन करते हुये पूर्व अनुपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुये नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–187 /XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) आहरण से पूर्व विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण निर्धारित परिव्यय की सीमा के अर्न्तगत ही है तथा मानक मद 26 एवं 42 हेतु स्टोर क्रय नियमों का आवश्यक रुप से पालन किया जाना होगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–800–अन्य व्यय–13–प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति के अधीन संलग्नक में उल्लिखित व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में निर्गत निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

सं0 880 (1)/XXIV(7)/2017–21(2)17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4–निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
5–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
6– नोडल अधिकारी, प्रवेश शुल्क नियामक समिति/ प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रायपुर (देहरादून)।
7–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8–विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0– 880 /XXIV(7)/2017–21(2)17 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि रू0 हजार में)

क0 सं0	लेखाशीर्षक एवं मानक मद	बजट प्राविधान	स्वीकृति
2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–800–अन्य व्यय–13–प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति			
वचनबद्ध मदें			
1	07–मानदेय	100	100
2	16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500	500
3	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2500	2500
	योग	3100	3100

(रू0 इकतीस लाख मात्र)

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
अनु सचिव।